कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद हरिद्वार।

ईमेल—cfohdr.ukfs@gmail.com फोन नं0—01334—265700

पत्रांकः न—6/सीएफओ—आर/2023 दिनांकः सितम्बर 03, 2023।

स्वामी/प्रबन्धक,
मैसर्स नेफोन फार्मास्यूटिकल्स प्रा0लि0,
चक नं0—165,82, गाटा नं0—754,
ग्राम—सिरचन्दी, परगना एण्ड तहसील भगवानपुर,
जनपद हरिद्वार।

विषयः— प्रस्तावित औद्योगिक भवन के **Pre-Establishment** प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बर—**34854950**, दिनांकः **18.08.2023** जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये संलग्न मानचित्र का परिशीलन एवं स्थल का सीलीय निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन रूड़की से कराया गया, प्रभारी फायर स्टेशन रूड़की की निरीक्षण आख्या दिनांकः 08.08.2023 के अनुसार सीलि तक अग्निशमन का वाहन सुगमता से पहुँच सकता है, सीलि के ऊपर से कोई विद्युत हाईटेंशन लाईन नहीं जा रही है एवं बिन्दु संख्या 01 से 16 तक के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सशर्त संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है।

आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तावित भवन का मानचित्र के अनुसार निर्माण के उपरान्त तथा भवन को उपयोग में लाये जाने से पूर्व अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थायें मानचित्र/नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया—2016 के भाग—4 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार कराकर तथा सीनीय थाना, अस्पताल एवं फायर स्टेशन रूड़की का टेलीफोन नम्बर को मुख्य स्थान पर अंकित कराकर इस कार्यालय को सूचित करें, भवन को प्रयोग में लाने से पूर्व व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन कराया जाये, व्यवस्था संतोषजनक पाये जाने के उपरान्त ही अन्तिम रुप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा, भवन का निर्माण शासन द्वारा जारी भवन उपविधि में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरू किया जाये तथा ***मानचित्र को एचआरडीए से स्वीकृत कराये जाने के उपरान्त मानचित्र के अनुरूप भवन निमार्ण कर प्रयोग में लाने से पूर्व इस कार्यालय से अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है, भवन का मानचित्र के अनुरूप निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है।***

अतः उपरोक्त अनुबन्ध के साथ प्रभारी फायर स्टेशन रूड़की की संस्तुति आख्या एवं उप निदेशक महोदय (प्र0/तक0), अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड, देहरादून के अनुमोदन के उपरान्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि उत्तराखण्ड तथा एन0बी0सी0—2016 में उल्लेखित जीवन सुरक्षा के मानकानुसार प्रावधान करते हुये प्रस्तावित भवन का निर्माण कार्य इस उपबन्ध के साथ कराया जाये कि भवन के मानचित्र में प्रदर्शित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं प्रभारी फायर स्टेशन रूड़की के संलग्न पत्र में अंकित व्यवस्थाएं/सुझाव के अनुरूप निर्माण पूर्ण होने तक पूर्ण करा ली जाने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है, संस्थान के संचालन से पूर्व भवन के प्रयोग एवं गतिविधि को मध्यनजर रखते हुये किये गये फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी निरीक्षण के आधार पर सुझायी गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में बदलाव किया जा सकता है एवं प्रभारी फायर स्टेशन रूड़की के संलग्न पत्र में अंकित सुझायी गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं को अन्तिम न समझा जाये तथा **भवन निर्माण पूर्ण कर संलग्न के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था करने के उपरान्त पुनः ऑनलाईन आवेदन कर अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।**

संलग्नकः यथोपरि।

(अभिनव त्यागी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार

प्रतिलिपिः प्रभारी फायर स्टेशन रूड़की को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सेवा में,

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद हरिद्वार।

महोदय,

Uttrakhand Fire and Emergency services के तहत ऑनलाईन प्राप्त आवेदन दिनांकः 18.08.2023, Unique Id नं0- 34854950 के अनुसार मैसर्स नेफोन फार्मास्यूटिकल्स प्रा0लि0, वक नं0-165, 82, गाटा नं0-754 ग्राम-सिरचन्दी परगना एण्ड तहसील भगवानपुर जनपद हरिद्वार का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से मेरे द्वारा दिनांकः 21.08.2023 को स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण आख्या निम्नवत् है-
1. प्रश्नगत स्थल पर भवन निर्माणाधीन है।
2. निर्माणाधीन भवन के ऊपर से कोई विद्युत हाईटेंशन लाईन नहीं है।
3. प्रश्नगत स्थल तक फायर सर्विस का वाहन पहुँच सकता है।
4. प्रश्नगत स्थल का कुल प्लाट एरिया 3691 वर्गमी0 है।
5. भवन का कुल कवर्ड एरिया 6916.31 वर्गमी0 है।
6. बेसमेन्ट कवर्ड एरिया 1771.72 वर्गमी0 है।
7. भवन की ऊँचाई 09 मी0 है।

औद्योगिक भवन में निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं करायी जानी आवश्यक हैं-

1. भवन में विद्युत व्यवस्था के अन्तर्गत एम.सी.बी. का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।
2. भवन में विद्युत व्यवस्था एम0सी0बी0 तथा ई0एल0सी0बी0 पर आधारित हो साथ ही विद्युत वायरिंग उच्चगुणवत्तायुक्त (ISO प्रमाणित) अथवा भारतीय मानक(ISI)प्रमाणित होनी आवश्यक है।
3. भवन में एन.बी.सी. के अनुरूप प्रयाप्त अग्निशमन यन्त्रों / उपकरणों का प्राविधान किया जाय आवश्यक है।
4. भवन में विद्युत व्यवस्था के अतिरिक्त वैकल्पिक प्रकाश व्यवस्था की भी प्रावधान किया जाय।
5. भवन के टैरिस पर 20000ली0 क्षमता के टैरिस वाटर टैंक का प्रावधान किया जाय, एवं भवन के कम से कम जीनों के लैण्डिग के पास होजरील (30मी0) मय नाजुल के स्थापित किये जांय, जिसमें कम से कम 3.5 कि0ग्रा0 क्षमता का प्रेशर लाईन में रखा जायें।
6. उद्योगभवन में 150000 ली0 क्षमता का भूमिगत वाटर टैंक को मय आउटलेट के ऐसे स्थान पर निर्मित किया जाय, जहां अग्निशमन का वाहन आसानी से पहुँच सके, उस पर 01 इलैक्ट्रिक, 01 डीजल पम्प क्षमता 2280Lpm (स्टेण्ड बाई) तथा एक इलैक्ट्रिक पम्प(जॉकी पम्प) क्षमता 180 Lpm स्थापित किया जाय।
7. भवन में वेट राईजर का प्राविधान किया जाय।
8. भवन / भवन के बेसमेन्ट में मैनुअली / इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम, आटोमेटिक डिटेक्शन & अलार्म सिस्टम व मानकानुसार ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
9. भवन में 'उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के मानकानुसार प्रयाप्त सेट बैक होना आवश्यक है जो कि सदैव बाधा रहित होना आवश्यक है।
10. भवन में उपकरणों के संचालन विधि से सम्बन्धित निर्देश बोर्ड लगाया जाय।
11. भवन में अग्नि सुरक्षा की जानकारी हेतु निर्देश बोर्ड लगाया जाय।
12. भवन में एसेम्बली प्वाइंट का बोर्ड लगाया जाय।
13. भवन में आपातकालीन / निकास मार्ग का प्राविधान करते हुये Exit चिन्हों को रेडियम पेन्ट से अंकित किया जाय।
14. भवन के मेन गेट पर फायर सर्विस / स्थानीय पुलिस थाना / एम्बुलेन्स(112,108आदि)टेलीफोन नम्बर चमकदार रेडियम पेन्ट से अंकित किया जाय जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई दें।
15. भवन में Talk-Back System एवं Public address का प्रावधान किया जाय।
16. स्वामी / प्रबन्धक को को निर्देशित किया जाता है कि भवन निर्माण का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त HRDA से पूर्णता का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा एवं NBC-2016 के भाग-4 तथा अन्य सम्बन्धित संहिता के अनुरूप व्यवस्थायें पूर्ण करने के पश्चात् विभागीय Website पर Pre-Operational हेतु आवेदन करें।

अतः स्थलीय निरीक्षण आख्या Pre-Establishment हेतु संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

पत्रांकः- नि0 / एफ.एस.आर. / 23
दिनांकः अगस्त 24 ,2023।

अग्निशमन अधिकारी
रुड़की
24/08/23